प्र.सं. : 64 / 2010 रिमाण्ड प्रकरण सं. 1 / 23 (30 / 2021)
अनवान डुंगरराम बनामविशाल आदि
धारा 8(2)राज.उप. अधि. निर्णय दिनांक :—08.04.2025

—: **निर्णय** :— दिनांक : — 08.04.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि —प्रार्थी डुंगर राम पुत्र श्री अमर लाल जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (लूणेवाला) के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 29 पी एस बी के मु.नं. 38 प.नं. 235 / 301 के कि.नं. 19 ता 25, प्रत्येक सालम कुल 1.771 है0 नहरी भूमि खातेदारी है। तथा इसी चक के मु.नं. 38 प.नं. 235 / 301 के कि.न. 1 सालम अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 का, इसी मुरब्बा नं. 38 के कि.न. 2 ता 18 सालम—सालम कुल 4.301है0 नहरी अप्रार्थी सं. 6 ता 9 के पिता कृष्णलाल व 10 ता 12 के ससुर व दादा कृष्णलाल की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए इसी मु.न. 38 के कि.न.1—10—11—में से 15—20 वर्षो से .025, .025 है0 रास्ता चालू है। लेकिन राजस्व रिकॉर्डे में रास्ता स्वीकृत ना होने के कारण उक्त अप्रार्थीगण काफी बार रास्ता में आने जाने के लिए व्यवधान पैदा करते है। उक्त रास्ता मन्जुर फरमाया जावे। प्रार्थी डुंगरराम की मृत्यु होने पर जरिये श्री राजाराम धारणिया ने प्रार्थना—पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रकरण में उक्त प्रार्थना—पत्र पर कोई एतराज नहीं होने पर स्वीकार किया गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रार्थी कृपाराम के द्वारा प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट पेटीशन सं. 10469 / 2024 अनवान कृपाराम बनाम स्टेट आदि में पारित निर्णय दिनांक 9.07.2024 की पालना करवाने हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजाराम धारणिया ने प्रार्थना —पत्र मय निर्णय की प्रति सहित प्रस्तुत किया।

2. उक्त प्रकरण में सम्बधित हितबद्व पक्षकारान को सुन कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.2013 को वाके चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न. 1—10—11प्रत्येक में .025—.025 कुल .075 है0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया एवं रास्ते आई भूमि के बदले भूमि प्रार्थी की खातेदार भूमि चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न. 19 के चिपते कि.न. 18 में साथ .075 है0 भूमि बदले में दिये जाने के आदेश दिये गये थे। साथ में तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त स्वीकृत शुद्वा रास्ते का रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर एवं रास्ते में आई हुई भूमि के बदले में .075 रकबा अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर अमल—दरामल करने के आदेश दिये गये थे।

3. उक्त आदेश के विरूद्व कृपाराम पुत्र कृष्णलाल वगैरा ने श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के यहॉ अपील सं. 251 / 13 एवं 1 / 14 अनवान कृपाराम वगैरा बनाम डुंगरराम प्रस्तुत करने पर उनके आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा अपीलांटस की दोनों अपीले सारहीन पाये जाने पर अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व, कृपाराम पुत्र कृष्णलाल ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहॉ अपील सं. / एलआर / 2015 / 7703 / श्री गंगानगर अनवान कृपाराम बनाम डुंगरराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 के अनुसार अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 30.11.2015 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 23.12.2013 बहाल रखा गया है।

4. उक्त प्रकरण में भी शेषकरण पुत्र पृथ्वीराज ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहॉ अपील / एलआर / 2015 / 7704 / गंगानगर अनवान शेषकरण बनाम डुंगरराम वगैरा के प्रस्तुत की गई। जि[illegible]2 के अनुसार अपील अपीलार्थी निर्णित की जाकर इस न्याय[illegible] पारित निर्णय दिनांक 23.12.2013 में आंशिक संशोधन कर निर्देशित [illegible] है कि वे अपीलार्थी को रास्ते की भूमि के एवज मे [illegible] जाना तकस[illegible] ही हो तो डी. एल.सी. की दर से प्रत्यर्थी / प्रतिवादी [illegible] उभय पक्षकारान को निर्देशित किया गया [illegible] उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 12.01.2023 को उपस्थित हो।

5. उक्त प्रकरण बाद निर्णय इस न्यायालय को दिनांक 10.02.2023 को प्राप्त होने पर पेशी में किया गया। प्रार्थी डुंगरराम पुत्र श्री अमरलाल की ओर से श्री अनिलकुमार अधिवक्ता हाजिर आये। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आये। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

उपस्थित आने के लिए कई अवसर दिये गये। साथ माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 01.12.2022 में अप्रार्थीगण (प्रार्थीगण) को न्यायालय में दिनांक 12.01.2023 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। उसके उपरान्त हाजिर नही आये। उक्त प्रकरण में तहसीलदार एवं उप पंजीयक रायसिंहनगर से उक्त चक की वर्तमान डी.एल.सी दर दिनांक 03.05.2024 को लिखा गया। उप पंजीयक रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/पंजीयन/24/1187 दिनांक 13.5.2024 के अनुसार उक्त चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 की सिंचित वर्तमान प्रचलित डी. एल.सी. दर 492800/–रूपये प्रति हैक्टयर व उक्त असिंचित कृषि भूमि की दर 246400–/ रूपये प्रति है0 है।

6. अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 01.12.2022 के निर्देशानुसार इस न्यायालय के पारित आदेश 23.12.2013 में आंशिक संशोधन वाके चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न. 1–10–11 प्रत्येक में .025 –.025 कुल .075 है0 भूमि रास्ता में आई के बदले में अप्रार्थीगण को उक्त चक की वर्तमान डी.एल.सी. दर से मुआवजा दिलवाया जावे। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.5.2024 के द्वारा स्वीकृत रास्ता की एवज में डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि दिलवाये जाने के आदेश फरमावे गये थे संशोधन करते हुये, माननीय न्यायालय जोधपुर निर्णय दिनांक 09.07.2024 द्वारा रास्ता के बदले में भूमि दिये जाने के आदेश हुए है। प्रकरण चक 29 पीएस बी के मु.न. 38 के कि.न. 1–10–11 में रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.12.2013 को रास्ते के बदले भूमि देने का निर्णय पारित किया गया। मु.न. 38 के क.न. 1–10–11 प्रत्येक में 0.025, 0.025 कुल 0.075 है. भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश भूमि के बदले कि.न. 18 के चिपते कि.न. 19 में .0.075 है. भूमि दिये जाने के आदेश दिया था। उसे यथावत् रखते है, भूमि के बदले भूमि दिये जाने के आदेश व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश की पालना में रास्ता में आई भूमि के बदले में अप्रार्थीगण से भूमि दिलवाने के आदेश दिये गये है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 01.12.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम आदेश दिनांक 30.05.2024 में संशोधन करते हुये यह आदेश दिये जाते हैं कि वाके चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न. 1–10–11 प्रत्येक में .025–.025 कुल .075 है0 गै.मु.रा. इस चक की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर स्वीकृत की बजाय दिनांक 23.12.2013 के अनुसार भूमि के बदले भूमि पर स्वीकृत किया जाता है। अतः इसी मुरब्बे के कि.नं. 10–11 प्रत्येक में 0.025है. कुल 0.050 है. भूमि के बदले में प्रार्थीगण इसी मुरब्बे के कि.नं. 18 के चिपते कि.नं. 19 में 0.050 भूमि देगे। पूर्व में जमा शुद्वा राशि प्रार्थीगण को लौटाई जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल –दरामद किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी